थी। इस संबंध में इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि मेरे माननीय सहयोगी इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को समझें कि हमारे जैसे विशाल देश के लिए जहाँ विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और सम्प्रदायों के 71·10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं, क्या यह सौभाग्य की बात नहीं कि इस देश में श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व में एकीकरण करने की शक्ति है और जिन्हें दक्षिणी भारत और साथ ही उत्तर भारत के लोगों का एक समान आदर और विश्वास प्राप्त है। क्या इनमें से कोई भी नेता दक्षिणी भारत की विशेष समस्याओं को समझ सकता है अथवा दक्षिण भारत की भाषाओं के बीच भिन्नता को मानते है ? अतः ये नेता मात्र प्रदेश के ही नेता है और राष्ट्रीय नेता होने का दावा नहीं कर सकते।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जापान के प्रधान मन्त्री जैसे व्यक्ति ने भी—वह कांग्रेस आई के सदस्य नहीं है—श्रीमती गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा यह कह कह की है वह केवल भारत और ऐशिया की ही नहीं बल्कि विम्व की भी नेता है। क्या यह हमारे देश तथा श्रीमती गांधी के दल और उनकी सरकार के लिए गर्व की बात नहीं है ?

इन शब्दों के साथ, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं जिसे निराश होकर प्रस्तुत किया गया है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के कई सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि अविश्वास का प्रस्ताव लाना अब एक आम बात हो गई है। पर वे यह कहना भूल गए कि हर बार हम ही उन पर हावी होते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी संख्या अधिक है, बल्कि इसलिए कि विरोधी पक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का हर बार हमने करारा जवाब दिया है। आज की बहस में कोई ऐसा नया मुद्दा नहीं उठाया गया है जिस पर इस सत्र में चर्चा हो चुकी हो, जिसका प्रश्न काल के दौरान या दूसरे मौकों पर उत्तर न दे दिया गया हो। अतः इन सब बातों को फिर से क्यों उठाया गया, इसका उत्तर अन्तिम वक्ता ने दे दिया है। यह व्यैक्तिक वैमनष्यता है। उन्होंने इस बहस को व्यक्तिगत मन मुटाव का पुट दिया, मेरे परिवार को इसमें घसीटने की कोशिश की, मेरे छोटे छोटे पोतों पोती को भी नहीं बख्शा। क्या यही संसदीय लोकतन्त्र है ? (**व्यवधान**) क्या यही प्रजातन्त्र है ? यही उनका प्रमुख मुद्दा था, इस पर ही उन्होंने जोर दिया। इससे उनकी रूचि का पता चलता है। जैसे मेरे सहयोगी श्री वेंकटरामन ने कहा, जब इस सदन में कोई महत्वपूर्ण और गंभीर रूप की चर्चा होती है तो विपक्ष के नेता, विपक्ष के सदस्य सभा में उपस्थित रहना अपनी तौहीन समझते है। आज सरकार की निन्दा करने के लिए वे अचानक ही इतनी अधिक संख्या में मौजूद हैं। सरकार की भर्त्सना करना ही उनके लिए गम्भीर मुद्दा है। पर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। हमने मुकाबला किया है, हमने कई अहम मामलों पर विश्व के दबाव का प्रतिकार किया है। जैसा कि मैने अमरीका में कहा, जहां भी मैं गई वहाँ कहा और आगे भी कहती रहूंगी कि हम अपने विरोधियों या विपक्ष के सदस्य जो कहते हैं उसके बावजूद अपने निश्चित सिद्धान्तों से डिगे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। अच्छा तो यह होता कि विहक्ष अपने से अविश्वास-प्रस्ताव पेश करता। (**व्यवधान**) कम से कम एक बार तो वह वस्तुस्थिति को स्वीकारने का श्रेय ले सकता था।

विपक्षी नेता, विपक्षी सदस्य एक दूसरे की किस प्रकार आलोचना करते हैं यह तथ्य न हमसे छुपा है, न विपक्ष से और न ही विश्व से। अन्तिम वक्ता असली लोकदल के हैं। दूसरे नकली लोकदल के। पर यहाँ ये सब मिल गए हैं। जो लोग जातिवाद और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते रहे हैं वही हमें जातिवाद और साम्प्रदायिकता फैलाने का दोष दे रहे हैं, आज से नहीं बल्कि स्वतन्त्रता के बाद से ही। फिर वे लोग भी हैं जो अपने को प्रगतिशील समझते हैं। वे कर क्या रहे हैं ? वे बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं।" अब आप क्या कर रहे हैं ? मैं आपसे पूछती हूं कि आपने चुनाव में क्या दिया ? आपने अपने को अलग नहीं रखा। आपने हर मौके पर सभा में और सभा के बाहर प्रतिक्रियावादी ताकतों की हिमायत की है। (व्यवधान)

- एक सम्मानित और जाने माने मार्क्सवादी नेता ने कहा है "इन्दिरा गांधी को पराजित करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन स्वीकार करेंगे।" यह सभी अखबारों में छपा है। (व्यवधान)। यहाँ शोर मत करिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती . यह बात हमने तानाशाही के विरूद्ध कही थीं और हम इसका मुकाबला करेंगे (व्यवधान)।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : आप उनका प्रतिरूप यहाँ भी देख रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अपना एक अच्छा मित्र मानते हैं। आपके सी० पी० एम० सराच ने स्वयं यह बात अभी-अभी स्वीकार की है (व्यवधान)। मैं आपसे हार मानने वाली नहीं कृपया बैठ जाइए।

वे एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, लोक दल, सी० पी० एम० और डी० एस० पी० एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे हैं। फिर भी सरकार को कमजोर बनाने के उद्देश्य से ये सब एक हो गए हैं पर वे इस सरकार का विकल्प नहीं है। उनका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। निश्चित नीति नहीं है। विचारधारा की बात करना फिजूल है। यदि एक विरोधी दल का कोई कार्यक्रम हैं तो दूसरे दल का कार्यक्रम उसके बिल्कुल विपरीत है। पर ये तुले हुए हैं। आप तीसरी किसी और दिशा में जाता हैं। इनका उद्देश्य देश की अखण्डता के टुकड़े करना है। इसी इन्हें कितना ही समझाइए। ये समझने वाले नहीं हैं। यह बात सर्वमान्य है। सौभाग्य से मेरा विश्व के उन देशों के नेताओं से सम्पर्क रहा है जिनका कुछ विपक्षी दल समर्थन करते हैं। मुझे मालूम है कि ये नेता भारत को क्या समझते हैं... (व्यवधान)

आज दुनियां का प्रत्येक देश हमारी बुनियादी नीतियों से प्रभावित है, हमारे उनके क्रियान्वयन के तरीके से प्रभावित है चाहे वह विकासशील देश हो, विकसित देश हो, समाजवादी देश हो या फिर पूंजीवादी देश हो। निश्चित हो जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छाई होगी सभी तो भिन्न भिन्न विचारधारा रखने वाले लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने न केवल मुझे व्यैक्तिक रूप से लिखा है, बातचीत की है, अपितु इसकी सार्वजनिक स्थानों पर चर्चा की है, अपने अखबारों में छापा है, अपने लोक मंचों पर चर्चा की है।...

प्रो० मधु दण्डवते : यह राजनीति की मांग है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्होंने आपको क्यों नहीं कहा । अन्य लोगों को क्यों नहीं कहा जनता या लोकदल सरकारों के समय में निर्गुट आन्दोलन में जो कुछ कहा गया आप उसे केवल सुनते रहें...

प्रो० मधु दण्डवते : हमें भी उन्होंने यही कहा था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब आप यह कहने और आरोप लगाने की धृष्टता कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता का सौदा करने जा रहें हैं । आप इन्दिरा गांधी को यह कहने का दुस्साहस कर रहे हैं । जबकि देश के सम्मान की रक्षार्थ मैं किसी के दबाव में नहीं आई- ।) 'वाह' कहने का क्या फायदा ?...हाँ, मैं हूं (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : आप नष्ट कर रही हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नष्ट कर रही हूं...(**व्यवधान**) दुनियां जानती है, भारत मजबूत बना । दुनियां जानती है, कब भारत के सम्मान की रक्षा की गई । यह इस सभा में चिल्लाने का प्रश्न नही है –चाहे हमारी ओर से हो या विपक्ष की ओर से । दुनियां जानती है और दुनियां ने माना है । तथ्य यह कि दुनियां इसे स्वीकार करती हैं ।

कुछ सदस्य जो मुझ पर आरोप लगाते है वे लोग है जिन्होंने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की अपनी आर्थिक ताकत खड़ी करने, आर्थिक आयोजन करने तथा अपने उद्योग और कृषि का विकास करने की नीतियों का घोर विरोध किया है ।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा यह प्रचार करते रहे है कि हमारे लिए किसी न किसी गुट में शामिल होना बेहतर होगा । लगता है आज वे बदल गए हैं । लेकिन इतनी देर तक गुट-वादी विचारधारा रखने के बाद आज मुझे विश्वास नहीं होता वे बदल चुके हैं । अब उनकी वह विचारधारा नहीं रही ।

स्वालम्बन हमेशा हमारा बुनियादी उद्देश्य रहा है, और रहेगा । विशेषकर इस अगस्त मास में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की याद ताजा हो आती है । तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो देश को आजाद नहीं देखना चाहते थे । वे उपनिवेशवादी अपने शासको की स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे । तब कुछ लोग ऐसे भी थे, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, जिन्होंने आजादी के बाद भी हमें अंग्रेजों के चमचों की संज्ञा दी थी । भगवान के लिए मुझे इन सब बातों को दोहराने के लिए न कहें । यह सब लिखित रूप में उपलब्ध है ।

आज हमारी तकनाजाजी काफी सशक्त हैं । इसे और मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ क्षेत्रों में और अधिक आधुनिक तकनालाजी का आयात करना होगा । अन्यथा आज के तेजी से बदलते विश्व में हम घिसीपिटी कार्यविधि पर अटके रह जाएगे । हम अपनी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजीनिवेश के लिए नहीं खोल रहे हैं । हम केवल उन्ही क्षेत्रों में विदेशी पूंजीनिवेश की अनुमति देंगे जिसके फलस्वरूप हमारी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ेगी और हमें वह आधुनिक

तकनीकी प्राप्त होगी जिसकी हमें जरूरत है।

तारापुर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसका पर्याप्त उत्तर भी दिया जा चुका है। तथापि मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि भारत में अमरीकी शिष्टमण्डल के साथ तथा अमरीका में हमारे अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने इन विषयों पर अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, (क) बिना आगे परामर्श किए पुर्नसंसाधन का अधिकार और (ख) 1993 में इस करार की अवधि की समाप्ति पर उससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार और दायित्व। दोनों पक्षों में यह सहमति थी कि इन दो विषयों पर मतभेद के बावजूद, 1963 के करार के उपबन्धों के अन्तर्गत परिष्कृत यूरेनियम की भारत को सप्लाई जारी रखी जा सकती है। इसलिए फ्रांस के माध्यम से यूरेनियम की सप्लाई की बात स्वीकार की गई। अमरीका से यूरेनियम की सप्लाई में अनिश्चितता आने के कारण हमें कुछ विकल्प खोजने के बारे में सोचना पड़ा। इस विषय में अनुसंधान कार्य किया गया और 'एम ओ एक्स' का वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग व्यवहारिक पाया गया। इस तकनीकी उपलब्धि का कार्य जारी रहेगा। मैं यह बात पहले भी इस सभा में कह चुकी हूं। मैं इस बारे में और बहुत बातें बता सकती हूं पर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहती। पर फिर भी मैं यह दोहराना चाहती हूं कि तारापुर परमाणु बिजलीघर में 'एम ओ एक्स' का इस्तेमाल भविष्य में निषिद्ध नही होगा।

महोदय, विहार प्रेस विधेयक के बारें में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं इसके विस्तार में न जाकर केवल यह दोहराना चाहती हूं कि हम प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध है। पर जैसा कि प्रेस परिषद ने कहा है, प्रेस को न केवल स्वतंत्र होना हैं अपितु जिम्मेदार भी होना है। जिम्मेदार सरकार के प्रति नही बल्कि जो कुछ वे लिखते और छापते हैं उसके प्रति। किसी ने मेरे पास एक उद्धरण भेजा हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की प्रतिष्ठा बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है।" (व्यवधान)। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वरिष्ठ पत्रकार अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार वर्ग के प्रेस में जो कभी-कभी झूठी अशलील बातें छपती हैं उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। इससे किस प्रकार निपटा जाए यह बात विचारणीय हैं और इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन यह कोई नया विचार नहीं है। पहले भी दो राज्यों ने लगभग इसी प्रकार का अधिनियम पास किया था। जहाँ तक मुझे याद है उनके बारे में कोई हो-हल्ला नहीं हुआ था।

महोदय, कई सदस्यों ने चुनावों के बारें में भी बहुत कुछ कहा है। मेरे पास पिछले चुनाव के सारें आंकड़े नहीं है। पर हरियाणा में 1977 में हमें 17.15 प्रतिशत वोट मिले। 1980 के लोक सभा चुनाव में हमें 35% मत हमें मिले। 1982 के विधान सभा चुनावों में 38% मत हमें मिले।

यदि कमजोर वर्ग ने, जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, हमें समर्थन नहीं दिया है तो हमें बहुमत कैसे मिला। क्या हमें बड़े उद्योग घरानों के समर्थन से यहां दो तिहाई बहुमत मिला है? (व्यवधान)। ऐसी टिप्पणी मेरा या हमारा नहीं, बल्कि भारत के मतदाताओं और उन करोड़ों लोगों का अपना है जिन्होंने वोट दिए।

चौधरी चरणसिंह जी···

एक माननीय सदस्य : वे चले गए ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे चले भी गए हों, लेकिन उन्होंने 'पावर्टी' की बात की थी ।

हमारे उनके साथ मतभेद बहुत पुराने हैं । मैं उन्हें खोलना नहीं चाहती । पहले जब मैं प्रधानमन्त्री थी और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे तो वे मुझ से आग्रह करते रहे थे कि हमें मिलों, विशेषकर कपड़ा मिलों को बन्द कर देना चाहिए । अब सभा ही इस पर विचार करे कि आधुनिक भारत के लिए यह नीति कहाँ तक अच्छी हो सकती है । जब मैंने उनसे पूछा "उन औद्यो मजदूरों का क्या बनेगा जो इससे बेकार हो जाएंगे" तो, उन्होंने उत्तर दिया, "आप उन्हें हथकर्घा सामान बनाने काम पर लगा सकती हैं ।" माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि क्या यह सम्भव है । क्या इससे भारत की इतनी विशाल जनसंख्या को समय पर और उचित कीमत पर पर्याप्त कपड़ा मिल सकेगा ? चौधरी साहब का जो विभिन्न विषयों के प्रति दृष्टिकोण है उसका मैंने केवल एक उदाहरण दिया है ।

उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये । अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने इन आँकड़ों का जो इस्तेमाल किया उसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देती । उन्होंने अनाज, चीनी और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में हुई वृद्धि का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया । मैं अनाज का जो कतिमान उत्पादन हुआ उसके आँकड़े दे सकती हूं । 1981-82 में 13.20 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ, 1.15 करोड़ टन तिलहन की पैदावार हुई, 18 करोड़ टन गन्ना पैदा हुआ और 1951 में एक करोड़ 70 लाख टन दुग्ध उत्पादों के मुकाबले 3 करोड़ 30 रु० लाख टन दुग्ध उत्पादन हुआ । मैं और भी आँकड़े दे सकती थी पर मैं विस्तार मे नहीं जाना चाहती । अन्डे, मछली आदि जैसी और भी मदें हैं जो आय आदमी के उपभोग की चीजें हैं । इन सभी के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । स्पष्ट है कि इसका लाभ निजी क्षेत्र को मिलेगा, छोटे-छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों को मिलेगा क्योंकि ये उद्यम सरकारी क्षेत्र में नहीं है ।

गरीबी की रेखा की बात भी उठाई गई है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि हमने गरीबी पर विजय पाली है या गरीबी समाप्त कर दी है । इसके विपरीत मैंने कहा है कि गरीबी बनी हुई है और अपनी पीढ़ी तक हम इसे मिटा नही सकेंगे । जब 1966 में मैं सत्ता में आई थी मैंने तभी यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी । यह एक बहुत बड़ी समस्या है । मैंने कहा था कि गरीबी की आकृति बदल रही है । लाखों लोगों को गरीबी की रेखा कही जाने वाली रेखा से ऊपर उठाया गया है । यह रेखा बदलती रहती है । पहले जिसे ऐश्वर्य का समान माना जाता था आज वही आवश्यकता बन गई है । हम उन्हें दोष नहीं देते । हम उनसे सहमत हैं ।

जनसंख्या में वृद्धि को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए । औसत आयु बढ़ गई हैं । मुझे खेद है कि के श्री चव्हाण में सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं हालांकि काग्रेस ने स्वयं इस शब्दावलि का इस्तेमाल किया है । मैं यह मानती हूं कि अमीर और अमीर हुआ है, पर गरीब और

गरीब नहीं हुआ है। तुलना की दृष्टि से वे और गरीब हुए हैं क्योंकि आज वे गरीबी के प्रति अधिक जागरूक हैं, लेकिन आजादी के समय जो गरीबी थी और 1966 में जब मैंने सत्ता सभाली तब जो गरीबी थी उसकी तुलना में वे आज अधिक गरीब नहीं है। मैं गाँव में नहीं रहती। चौधरी चरणसिंह भी शायद गांव में नही रहते। पर जब में बच्ची थी तभी से गांव वाले सैकड़ों की संख्या में नहीं हजारों, लाखों की संख्या में हमारे घर आते रहे हैं। चाहे इलाहाबाद में आनन्दभवन हो या दिल्ली में तीन मूर्ति भवन, । सफदरगंज रोड़, 12, विलिंडग क्रसेंट, इन सबके आहते, आंगन गाँवों से आए लोगों से खचा,खच भरे रहते है। ये लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही नहीं आते है। देश के सभी भागों से आते है। मैं सदस्यों को यह भी बताई कि जब चौधरी चरण-सिह ने दिल्ली में किसान रैली आयोजित की थी तब भी भारी संख्या में किसान मेरे घर आए थे। उनमें से कुछ को यह प्रलोभन दे कर लाया गय था कि 'जब तुम दिल्ली जावोंगे तो इन्दिरा गांधी के दर्शन करोगे। (व्यवधान)

अब जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और श्रीमती और श्री दण्डवते दोनों यहाँ उपस्थित है। तो मैं कुछ ही दिन पहले हुई घटना का जिक्र करूंगी प्रो॰ मधु दण्डवते जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे। पर उस समय उन्हे बेलगाँव के लोगों या सीमा विवाद की कोई चिन्ता नहीं थी। अब श्रीमती और श्री दण्डवते ने बेलग्राम के बताए जाने वाले लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों की ? जब आप 2-1/2 वर्ष तक मंत्री थे तब क्या करते रहे ? इन लोगों ने श्री दण्डवते के पीछे नहीं बल्कि उनके सामने कहा "हमको तो आप में ही श्रद्धा है, आप ही इस प्रश्न को सुल-झायेंगी। प्रो॰ दण्डवते ने भी ऐसे ही शब्द कहे।

प्रो॰ मधुदण्वतें : महोदय, मेंने इन्हे कहा था कि जब हम सत्ता में थे तो हमने एक बैठक आयोजित की थी। पर दुर्भाग्य से संसद भंग कर दी गई। यही मैंने इनसे कहा और मैं यहाँ भी कह रहा हुं।

श्री मती इंदिरा गाधी : जहा तक गरीबी की रेखा का सम्बन्ध है, निश्चित ही इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसका कारण हैं जनसंख्या में 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी। पर प्रतिशत के हिसाब से इस संख्या में कमी आई है। 1972-73 में यह संख्या 51·49% थी 1977 मैं घटकर 48.13% रह गई और लगातार कमी हो रही है। मुझे बताया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के पूरे हो जाने पर हम काफी संख्या में, शायद 10 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकेंगे।

जहाँ तक पेयजल का मसला है, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1985 तक सभी समस्यामूलक गांवों में पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य हैं। वर्ष 1982 की प्रथस तिमाही में 6 266 समस्यामूलक गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 20.2 प्रतिशत बैठता है। हमें आशा हैं कि हम 1985 तक लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

किसी माननीय सदस्य ने इस मसले को गम्भीरता से न लेने का हम पर आरोप लगाया यह दुर्भाग्य की बात है। पर कई गाँवों, वस्तुत: अधिकाँश गाँवों में लोग पीने के पानी और प्राथ-मिक स्कूल की अपेक्षा बड़ी इकाइयाँ या परियोजनाए स्थापित करना अधिक पसन्द करते हैं। कई बार मैंने स्वयं ग्रामीण लोगों से बातचीत की है और उन्हें अविलम्बनीय प्राथमिकता वाले काम

करने के लिए मानने की कोशिश की है। पर मुझे अच्छा लगा कि वे बड़ी परियोजना लगना ज्यादा अच्छा समझते हैं। अत: हमें इन सब बातों से जूझना होता है।

फिर भूमि सुधार की बात है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती। जैसा आप जानते है पश्चिम बंगाल की तरह अन्य राज्यों में भी अदालतों से सैंकड़ों रीका देश लोगों ने ले रखे हैं। मामलेंड अदालतों में अटके पड़े हैं। यह बात केवल भूमि सुधार के मामले में ही नहीं है बल्कि गरीब और कमजोर तब के लोगों से सब अन्य कार्यक्रमों की भी यही हालत है। यहाँ हम असहाय हो जाते हैं। जब तक हम सभी मिल बैठकर बातचीत नहीं करते और कोई रास्ता नहीं निकालते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : आप इसे नौवीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करते ?

एक माननीय सदस्य : ये विषय नौवीं अनुसूची में ही हैं, आप नहीं जानते।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर अत्याचार के दोषी लोगों को दी गई सजा के बारे में मेरे पास पूरे आँकड़े नहीं है, मैं बुद्धि के अध्यधीन बोल रही हूं। बिहार में बेल्ची, पिपरा, भीसेनपुर आदि छः स्थानों पर हुए अत्याचारों के मामलों में दो को मौत की सजा और 135 को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है दूसरे राज्यों में भी एसी सजाएं दी गई हैं। मेरे पास सारे आंकड़े नही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मीनाक्षीपुरम और अरब से आने वाले धन के बारे में आपको क्या कहना है ?

एक माननीय सदस्य : इसके प्रभारी आप है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : रोजगार के विषय में मैं पहले भी बोल चुकी हूं। हमारे रजिस्टरों में जो आंकड़े होते हैं वे हमेशा सही नहीं होते। कई बेरोजगार लोग अपना नाम दर्ज नहीं कराते। जो रोजगार पर हैं वे भी अन्यत्र अच्छा रोजगार पाने के लिए आपका नाम नहीं लिखवाते। मैंने कुछ आंकड़े स्वयं देखें हैं। इस सब के बावजूद, वृद्धि दर घटी है। 1978 में 16 प्रतिशत के मुकाबले 1979 और 1980 में यह 13 प्रतिशत रह गई थी। 1981 में और घट कर 10 प्रतिशत रह गई। लगभग 50 प्रतिशत शिक्षित लोग होते हैं, जो रोजगार की तलाश में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इनके मामले में भी बेरोजगारी की वृद्धि दर कमी आई हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, जैसाकि मैंने पहले भी कहा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास की दर और स्तर में निहित है, इसीलिए हम उत्पादन बढ़ाने और विकास कार्यक्रमों पर इतना अधिक जोर दे रहे हैं। दीर्घकालीन समाधान ढूंढने का यही एक रास्ता है। हमने कुछ अल्पकालिक योजनाएं चलाई हैं। उनमें से कुछ तो सफल हो रही र, पर कुछ सफल नहीं हो पा रही हैं। वस्तुत: आर्थिक विकास की इसका एकमात्र समाधान है। विरोधी पक्ष को हमारे इस महत्वपूर्ण कार्य में बाधाएं पैदा नही करनी चाहिए :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम महत्वहीन हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक और बात कही गई है कि हमारे प्रयासों का सही सूचकांक

स्थिर मूल्यों के आधार पर कुल राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि है। पिछले तीस वर्षों में जब से हमने आर्थिक आयोजना आरम्भ की स्थिर मूल्यों के आधार पर हमने सकल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1970 से 1978 के दौरान हमारे घरेलू उत्पादन में औसत 3·7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। यह उपलब्धि अधिकांश विकसित देशों से भी अच्छी है।

महोदय, हमें लोकतंत्रात्मक प्रणाली में पुर्न विश्वास है और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। तथापि, संसद को वर्तमान कार्यप्रणाली के बारे में मेरे कुछ अपने विचार हैं। चौधरी चरणसिंह ने स्वयं 'शून्य काल' के विस्तार की बात कही है। इससे पहले मैं अपने सहयोगियों को उद्धत कर चुकी है कि गम्भीर किस्म के मामलों में कितनी कम दिलचस्पी ली जाती है और अन्य गौण विषयों पर उन्हें बार बार-बार दोहरा कर कितना समय नष्ट किया जाता है। हो सकता है कि कि कुछ विषय महत्वपूर्ण हों। पर जब उनका एक बार उत्तर दिया जा चुका होता है तो उन्हें फिर से उठाने से आप किसी समाधान पर नहीं पहुंचते। (व्यवधान)

भागलपुर में लोगों को अन्धा किए जाने का जिक्र भी किया गया है। यह बहुत ही अमानुषिक और बर्बरतापूर्ण घटना है। इस विभीत्सा का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि यह जनता पार्टी के शासनकाल से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी शासन के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई। शुरू में तो उन्होंने इससे इनकार किया। लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे माना।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से अन्धा न कर देना।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसी घटनाओं का आज यहां उल्लेख किया गया। इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अन्यथा में इस विषय की बात नहीं करती।

हम इस सभा में शोर मचाने और प्रतिकार करने की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हम कुछ आंकड़े, आर्थिक आंकड़े पेश किए थे। इनका मार्क्सवादी दल ने बड़े जोरों से विरोध किया था और उन्हें नहीं माना था। पर चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें गुमराह किया गया और जो आंकड़े हमने दिये थे वे सही थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन से आंकड़े ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : आर्थिक आंकड़े। (व्यवधान)

यह दिलचस्प किन्तु, वस्तुतः अविश्वसनीय बात लगती है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, रा० स्व० सेवक संघ, आप इन्हें जो भी नाम दें, मैं इन्हें एक ही मानती हूं, ने भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करना अच्छा समझा। यह सारी उनकी चाल है। मैं यही मानती हूं। भा० ज० पा० और आर० एस० एस० में मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है। अचानक ही ये लोग स्वावलंबन आर्थिक आयोजन या निरगुटता के सिद्धांतों में अपनी आस्था बताने लगे हैं। यह बात मुझे नहीं पचती। इन्होंने क्या किया। जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने आत्मनिर्भरता, समाजवाद की दिशा में कौन से कदम उठाए ? मुझे यह कहते दुख होता है कि विपक्ष में बैठे अधिकांश सदस्यों

ने अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए विनाशकारी रवैया अपनाया। उस समय उनका रवैया यह बिनाशक दृष्टिकोण हमारे प्रति नहीं था। वे आपस में ही एक दूसरे को मिटाने में लगे रहे। कुछ भी हो, उनका रवैया रहा विनाशकारी।

दिल्ली में मूल्य-वृद्धि की बात कही गई है। मैं मूल्य वृद्धि के समग्र प्रश्न पर नहीं जाना चाहती। पर इस मौके पर मैं यह बताना चाहती हूं कि सरकार दिल्ली में कि में विशेषकर एशियाई खेलों के दौराव, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है जिससे कि कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके।

अब मैं कुछ शब्द अपने मित्र श्री साठे के बारे में कहना चाहूंगी क्योंकि कई लोगों ने उनके भाषण का जिक्र किया है। आजकल उनके अपने विचार आमतौर पर रंगीन टेलीविजन के प्रश्न तक सीमित रहते है। यह सच है कि वह महसूस करते हैं कि इस विषय को जितना महत्व दिया जाना चाहिए उतना हम नही दे रहे हैं। उनके लम्बे भाषण का यही सार है। मैं स्वीकार करती हूं कि मैं रंगीन टी० वी० के खिलाफ नहीं हूं। प्रश्न प्राथमिकता का है। मेरी प्राथमिकता के अनुसार अधिक से अधिक गांवों में रेडियों और टेलीविजन सुविधा पहुंचानी चाहिए। हम महसूस करते है कि हम यह काम रंगीन टी० वी० से नहीं कर सकते। हम रंगीन प्रसारण बन्द नहीं करना चाहते। हमने यह शूरू कर दिया है। पर हम महसूस करते है कि देश में 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' टी वी का प्रसार करना आसान और सस्ता होगा। यदि हम सस्ते रंगीन टी वी बनाकर यह काम कर सकेंगे तो अवश्य करेंगे। हम दूसरे देशों विशेषकर अपने पड़ोसियों से पीछे नहीं रहना चाहते। इस समय इससे एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोग दूसरे देशों से प्रसारित रंगीन कार्यक्रम को देखना पसन्द करते हैं। हमारे ब्लैक एण्ड व्हाइट' कार्यक्रम की उपेक्षा करते हैं। यह वास्तविक समस्या है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं। यह वास्तविक समस्या है जिसका हम सबको मुकाबला करना है।

कुछ लोगों ने कहा है कि 20-सूत्री कार्यक्रम की संज्ञा दी है। इसमें संशोधन इसलिए किया किया कि हमने कुछ सूत्रों पर कार्य पूरा कर लिया था और जो खाइयाँ और अविलम्बनीय समस्या शेष रह गई थी हम उनकी तरफ ध्यान लेना चाहते थे, दिमाग लगाना चाहते थे।

जब कभी कोई सोवियत का नाम लेता है तो कुछ सदस्य समझते हैं कि उसके बचाव के लिए आगे आना उनका कर्तव्य है। मैं समझती हूं सोवियत रूस स्वयं अपना बचाव करने में काफी सक्षम है। उसे इस तरफ के लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) मेरे विचार से श्री गाडगिल का अभिप्राय किसी भी प्रकार से सोवित संघ के महत्व को कम करना नहीं था। वे कई देशों के अखबारों में छपी इस खबर का जिक्र कर रहे थे कि रूस में पशुओं के लिए चारे की ही कमी नहीं है अपितु अपनी जनता को खिलाने के लिए उसके पास गेहूं की भी कमी है। दोष मढ़ने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वर्षा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। श्री गाडगिल ने जो तथ्य पढ़ा केवल उसका उल्लेखमात्र किया। इसका यह अर्थ लगाना कि उन्होंने एक भिन्न देश पर आक्षेप किया है न केवल गलत है अपितु उस देश के प्रति अभिन्नता पूर्ण व्यवहार भी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी पार्टी वालों की यही आदत है।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : आपकी भी यही आदत है। आप इस बारे में इतने भावुक क्यों हो जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप ज्यादा भावुक हैं।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : मैं भावुक नहीं हूं। मैं जानती हूं वे अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं (**व्यवधान**) आप बैठ जाइए।

कुछ अन्य सदस्यों ने कई प्रकार के आक्षेप किए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेती। पर यह कहना सरासर गलत है कि हर विधेयक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से हिदायतें जाती हैं, हर कार्यवाही मेरी अनुमति से या जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं हैं उसकी अनुमति से होती है, सारे मामले हमको भेजे जाते हैं।

मेरे मणिपुर मामले में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। आप कहें भी तो भी मैं इसे मानने को तैयार नहीं हु क्योंकि मैं नये विवाद में नहीं पड़ना चाहती। अगर मुझे वहाँ एक गवाह के रूप में भी बुलाया गया था तो भी दो चूजों और छः अण्डों की चोरी करवाने के आरोप में किसी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को बुलाना हास्यास्पद बात नहीं है ? मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूं··· ((**व्यवधान**)।

महोदय, चित भी और पट भी विपक्ष की नहीं हो सकतीं। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं तानाशाह हूं, मैं किसी को काम नहीं करने देती, किसी को बोलने नहीं देती, दूसरी ओर वे कहते हैं कि लोग मेरी अनुमति के बिना काम कर रहे हैं, बिहार में, दिल्ली में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका मुझे पता नहीं हैं। आप दोगली बात नहीं कर सकते। आप एक बात पर दृढ़ रहें। (**व्यवधान**)

मैं पूछना चाहती हूं कि किस कम्यूनिष्ट देश में, किस फासिस्ट देश में प्रजातन्त्र है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें··· (**व्यवधान**)। पता नहीं श्री वाजपेयी मुझसे सहमत होंगे या नहीं।

मैं विपक्ष पर यह आरोप लगाती हुं··· (**व्यवधान**) मैं समाप्त कर रही हूं। मैं कहती हूं यह विपक्ष गैरजिम्मेदार है; यह विपक्ष प्रजातंत्र के मानदण्डों की घोर उपेक्षा कर रहा है; वह इस सम्मानित सदन का समय नष्ट कर रहा हैं; सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है; मैं उस पर आरोप लगाती हूं कि उसे महत्वपूर्ण विधान से कोई सरोकार नहीं है। चाहे 'शून्य काल' हो या अन्य अवसर, आपने शोर शराबा करने में जो समय बर्बाद किया है उसकी तुलना जरा उस समय से कीजिए जो आपने वास्तविक विधान कार्य और हमारे तथा दुनिया के सातवें जो अहम मसले हैं उन पर विचार-विमर्श, चर्चा करने में लगाया हैं··· (**व्यवधान**)

शुरू में हमारी ओर से किसी ने आवाज नहीं उठाई। पर जब हमने देखा कि खामोश रहकर विपक्ष हमें काम नहीं करने देगा तभी हमारे दल के लोगों ने प्रत्युत्तर देना आरम्भ किया।

यदि विपक्ष शोर न करने की गारन्टी देता है तो मैं भी गारन्टी देती हूं कि हमारी ओर से एक भी आवाज नही आयेगी । क्या आप इसे मानने को तैयार हैं ? क्या आप अपने इस भानुमती के पिटारे पर नियत्रण रखेंगे ? मैं कहती हूं कि देश के तथाकथित वामपंथी दलों ने अपने आदर्शों और सिद्धांतों को पूर्णतः तिलांजली दे देती है और अपने को दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तत्तों के हाथ बेचा दिया है । (व्यवधान)

कुछ भाषण·· (व्यवधान) मैं हार मानने वाली नहीं, मैं हार नहीं मान रही ।

श्री रामावतार शास्त्री : हम भी हार नहीं मान रहे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कुछ भाषणों और प्रदर्शनों से कोई अन्तर नहीं पड़ता न ही उससे नीति बनती है। प्रगतिशील नीतियों का अनुसरण करने वाले विश्व के सभी लोग भारतीय बामपंथ द्वारा दिए गए धोखे से अवगत हैं । (व्यवधान)

मैं सभा को जर्मनी में हिटलर के आरम्भिक दिनों की याद दिलाना चाहती हूं जब पश्चिमी देश उसे समर्थन देने में खुशी महसूस करते थे क्योंकि वे उससे साम्यवाद के दमन की आशा रखते थे । इसी प्रक्रिया में जर्मनी में, आस्ट्रेलिया में, चैकोस्लावाकिया, पोलैंड तथा अन्य देशों में करोड़ों लोगों पर अत्याधिक बर्बरतापूर्ण अत्याचार ढाए गए, लाखों को मौत के घाट उतारा गया तथा सारा विश्व द्वितीय युद्ध की आग में झुलसने लगा । आज भारत का तथाकथित बामपथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का समर्थन कर रहा है, और उसे मजबूत बनाने में लगा हुआ है, उसका सम्मान कर रहा है, इस आशा में कि··· (व्यवधान) जब तक आप बैठ नहीं जाते मैं ये शब्द दोहराती रहूंगी ।

एक माननीय सदस्य : हम झुकने वाले नहीं हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : आप अपनी बात कह चुके हैं । बामपंथ प्रक्रियावादी ताकतों को समर्थन दे रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है । उसे आशा है कि इससे वह कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ेगी, वह कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जायेगी जिसने आजादी दिलाई, जो समान और प्रगति की प्रतीक है, जो भारी कठिनाइयों का मुकाबला करके··· (व्यवधान) जो पार्टी अपनी संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए भारी दवाब का सामना कर रही है और साथ ही देश को आधुनिक रूप देने, देश के करोड़ों लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गो और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की जीवन दशा सुधारने के प्रयासों में जुटी हुई है ।

महोदय, मैं पूछती है उस समय कितने विपक्षी सदस्यों ने आवाज उठाई जब उसके सदस्य बे खुले रूप में और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने को सी आई ए का ऐजेंट घोषित किया था । तब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही जब उसके एक सदस्य ने एक विदेशी दूतावास को जानकारी दी थी ? क्या इन बातों से देश का गोरव बढ़ता है ? देश का सिर ऊंचा होता है ? कांग्रेस में चाहे जो भी कमिया हों, कांग्रेस में भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं क्योंकि हम भी मानव है, हम अतिमानव नहीं हैं-- उसने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और आगे भी करेगी ।

विपक्षी दलों के सदस्य अपने अन्तिम हथियार के रूप में इस प्रस्ताव को यहाँ लाए हैं। वे सही निशानेबाज नहीं निकले। उनका बारूद पुराना और सीला हुआ था। सदन का मूल्यवान समय बर्बाद करने के अतिरिक्त इससे और कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम इन विषयों पर पहले ही कई बार बहस कर चुके हैं।

मैं माननीय सदस्य से इस प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह करती हूं और यदि वह वापस नहीं लेते तो मैं आप सब से इसे दृढ़ता से, पूरे जोर से अस्वीकार करने का अनुरोध करती हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा।

(व्यवधान)

श्री ईश अनबारासु (चिंगलपट्टु) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री बहुगुणा ने कहा था···

श्री रामावतार शास्त्री : किस नियम के अधीन ? (व्यवधान)

श्री ईश अनबारासु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। कृपया बैठ जाइए। मैंने स्वीकृति नहीं दी हैं। श्री बहुगुणा।

(व्यवधान)

श्री ईश अनबारासु : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया बैठ जाइए। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। मैं इसकी नहीं दे रहा हूं। वह जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया अनुमति जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी, आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सदन को यह मालूम होना चाहिए कि सदस्य क्या रखने आये थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी है। आप यह कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।